(84)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2018/0538 विरूद्ध आदेश दिनांक 15-12-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 0023/विविध/2017-18 /ब-121.

---

1. अशफाक पिता अब्दुल करीम
2. अरब अली पिता अब्दुल करीम
3. अय्यूब पिता अब्दुल करीम
4. अब्दुल करीम पिता कासम
5. अफजल पिता अरब अली

निवासीगण ग्राम जेतपुरा
तहसील सांवेर जिला इंदौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. भागुबाई उर्फ मांगुबाई पति स्व. करणसिंह राजपूत
2. उमरावसिंह पिता स्व. करणसिंह राजपूत
   निवासीगण ग्राम चित्तोडा
   तहसील सांवेर जिला इंदौर
3. नगजी पिता स्व. निहाल सिंह राजपूत
   वादमित्र व संरक्षक कलाबाई पति नगजी
   निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील सांवेर जिला इंदौर
   हाल मुकाम ग्राम मल्लपुरा
   तहसील तराना जिला उज्जैन
4. भगवान सिंह पिता स्व. करण सिंह राजपूत
   निवासी ग्राम चित्तोडा
   तहसील सांवेर जिला इंदौर
5. फूलसिंह पिता स्व. अंतरसिंह राजपूत
   निवासी ग्राम जैतपुरा
   तहसील सांवेर जिला इंदौर

हाल मुकाम मल्लुपुरा
तहसील तराना जिला उज्जैन

6. तोफान सिंह पिता स्व. अंतरसिंह राजपूत
7. सौदान सिंह पिता स्व. अंतरसिंह राजपूत
8. समन्दर सिंह पिता भंवर सिंह
   निवासीगण ग्राम चित्तोडा
   तहसील सांवेर जिला इंदौर
9. अजब सिंह पिता भंवर सिंह
   निवासी ग्राम जैतपुरा
   तहसील सांवेर जिला इंदौर

.....अनावेदकगण

श्री हरीश सोलंकी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जसवंत सिंह, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 से 7
श्री आसिफ अब्बास, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 8
श्री एस.के. कानूनगो, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 9

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/11/18 **को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 3 नगजी व अन्य द्वारा द्वितीय व्यवहार न्यायधीश वर्ग-2, सांवेर के वाद क्रमांक 17ए/12 संस्थित दिनांक 1-11-2011 के आधार पर ग्राम जेतपुरा स्थित सर्वे क्रमांक 80/1 रकबा 4.051 एवं सर्वे क्रमांक 169 रकबा 5.330 हेक्टेयर भूमि पर नामांतरण किये जाने हेतु तहसीलदार, सांवेर जिला इंन्दौर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/अ-6/2015-16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष लम्बित प्रकरण सुनवाई हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित करने हेतु अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 29 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15-12-2017 को

आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अंतरण के आधारों पर बिना परिशीलन किये एवं न्यायिक प्रक्रिया का बिना पालन किये आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण अंतरण करने के संबंध में तहसीलदार से प्रतिवेदन मांगकर, प्रकरण की स्पष्टता को जानने का प्रयास नहीं कर, आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस मूल तथ्य की अवहेलना की गई है कि प्रकरण में संहिता की धारा 178(4) के प्रावधान आकृष्ट होते हैं । उपरोक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कार्यवाही स्थगित किया जाना चाहिए था, किन्तु तहसीलदार द्वारा ऐसा नहीं कर नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिक भूल की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में प्रकरण लंबित है, अतः तहसीलदार को उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में कार्यवाही स्थगित करना चाहिए था, जिस पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में गंभीर वैधानिक की गई है ।

उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर, तहसीलदार, सांवेर के न्यायालय में लंबित प्रकरण की सुनवाई किसी अन्य सक्षम न्यायालय में करने हेतु अंतरित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 7 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) आवेदकगण यह निगरानी मात्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित नामांतरण कार्यवाही को लंबित रखने हेतु प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण को आपत्ति करने या विरोध करने की पात्रता नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकरण सर्वे क्रमांक 169 रकबा 5.330 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 80/1 की शेष भूमि रकबा 4.051 हेक्टेयर के संबंध में आवेदकगण के विरूद्ध दीवानी प्रकरण क्रमांक 17ए/12 (नगजी व अन्य विरूद्ध अय्यूब व अन्य) निर्णीत हुआ है । उक्त आदेश की अंतिम अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील क्रमांक 13636/17 (अय्यूब व अन्य विरूद्ध नगजी व अन्य) आदेश दिनांक 7-7-2017 अनुसार आवेदकगण के विरूद्ध निर्णीत होकर उक्त अपील निरस्त होकर सिविल कोर्ट सांवेर की डिक्री दिनांक 15-12-

2015 अंतिम होकर उक्त डिक्री के पालन में अनावेदकगण की मात्र नामांतरण की कार्यवाही होना है । तहसील न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही की जा रही है, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा बिना किसी पर्याप्त आधार के मामले के अंतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा 29 के तहत जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, उन तथ्यों में उसके विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक दीवानी न्यायालय की डिक्री दिनांक 15-12-2015 कायम रही है । आवेदकगण द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । कानूनन न्यायिक पद्धति के अनुसार आवेदकगण को न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आना चाहिए, किसी प्रकार का अप्रगटीकरण या दोष निंदनीय व दण्डनीय है । इस तर्क के समर्थन में 1997 (1) एम.पी.जे.आर. पेज नम्बर 127 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(3) आवेदकगण द्वारा जिस ढंग से सारी कार्यवाही छिपाते हुए संहिता की धारा 29 के तहत मामले के अंतरण हेतु अपर आयुक्त के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है एवं इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी की कंडिका क्रमांक 4 में जो अवलंबन लिया गया है, वह दुर्भावनापूर्वक है, जबकि संहिता की धारा 178 के प्रावधान बटवारे के प्रकरण में लागू होते है । संहिता की धारा 178 के परन्तुक अनुसार विवाद की स्थिति में सिविल कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है और उक्त संबंध में निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक दिनांक 7-7-2017 को निराकृत हो चुका है । ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 178 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं, फिर भी आवेदकगण द्वारा येन-केन-प्रकारेण तथ्य छिपाकर प्रकरण को विलंबित किया जा रहा है और इसी तारतम्य में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

(4) आवेदकगण तथ्य छिपाकर निगरानी प्रस्तुत करने के आदी हो चुके हैं, इसके पूर्व भी आवेदकगण द्वारा इसी प्रकरण में निगरानी क्रमांक 3109-पीबीआर/2016 (अय्यूब व अन्य विरूद्ध नगजी व अन्य) प्रस्तुत की गई थी, जो आदेश दिनांक 4-7-2017 द्वारा निरस्त हुई है । उक्त निगरानी आवेदकगण द्वारा तथ्य छिपाते हुए संहिता की धारा 178 का अवलंबन लेकर अधीनस्थ तहसील न्यायालय में दिनांक 26-8-2016 से 4-7-2017 तक लम्बान कारित किया और अंततः इस न्यायालय द्वारा निगरानी खारिज की गई । इस कारण दिनांक 4-7-2017 के आदेश के उपरांत पुनः कार्यवाही अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष होने पर आवेदकगण

द्वारा तथ्य छिपाकर संहिता की धारा 29 के तहत अपर आयुक्त के समक्ष, अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण अंतरित करने हेतु प्रस्तुत किया, जिसे अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 15-12-2017 अनुसार निरस्त किये जाने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि आवेदकगण की ओर से मामले के अंतरण के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र पर्याप्त आधार विद्यमान नहीं है, इसलिए उनकी ओर से प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है । इस तर्क के समर्थन में 2010 आर.एन. 54 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(6) आवेदकगण द्वारा जिस तहसीलदार के विरूद्ध आक्षेप कर, यह अंतरण आवेदन पत्र पेश किया है, उस तहसीलदार का स्थानांतरण हो जाने से आवेदन पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 7-7-2017, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 17-2-2017, पंचम अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 28-1-2017, राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 3109-पीबीआर/16 में पारित आदेश दिनांक 4-7-2017 एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-12-2015 की प्रति प्रस्तुत करते हुए आवेदकगण की ओर से तथ्यों को छिपाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को प्रकट न करते हुए निगरानी प्रस्तुत किए जाने के कारण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक क्रमांक 8 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध करते हुए लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, किन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

6/ अनावेदक क्रमांक 9 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष जिन आधारों पर संहिता की धारा 29 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण सुनवाई हेतु अन्य न्यायालय में अंतरित करने का अनुरोध किया गया था, उक्त आधारों के समर्थन में कोई प्रमाण/साक्ष्य पेश नहीं की गई है । उपरोक्त स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । वैसे भी

संबंधित पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-12-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर